रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15, 1991/ज्येष्ठ 25, 1913

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15, 1991/JYAISTHA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 1991

सूचनाएं

का.आ. 1608.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री चौ. शमीमुद्दीन ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जिला फरीदाबाद व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5 (38)/91-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 16th May, 1991

NOTICES

S.O. 1608.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Ch. Shamimuddin for appointment as a Notary to practise in Faridabad District.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(38)|91-Judl.]

का.आ. 1609.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मोहन बहादुर खुरानियां ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कैथल (हरियाणा) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(39)/91-न्याय]

S.O. 1609.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Sh. Mohan Bahadur Kharania for appointment as a Notary to practise in Kaithal (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(39)/91-Judl.]

(1)	(2)	(3)	(4)
	Manager/Deputy Manager (Estate) Estate Officer, Common Services Division, HMT P.O. Bangalore, Karnataka.	Hostel, workship places like temples, mosque, church etc. School Building, Club, Sports ground, Auditorium Open Air Theatre, Co-operative Society, Bank Building, Post Office, Welfare Centre, all types of quarters and other amenities including land, premises, building, sheds and structures etc. owned or acquired or hired by HMT I & II, Watch Factory I & II, Horological Machinery Division CNC Systems Division, Computer Systems Division, R & D Centre (Metal Cutting) Central R & D (Watches) & PCBS Horological Inspection Institute, Computer Integrated Manufacturing Division, Specialised Watch Case Division all situated at Jalahalli, Bangalore including any units/Division to be established in future therein.	

[File No. 14-3/85-PE-X]
V. ANAND, Jt. Secy.

Foot Note 1. Principal Notification was issued vide No. S.O. 692 dated 8-2-1988
2. Subsequently amended by SO. No. 2779 dated 7-9-1988.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली 29 मई, 1991

(पुरातत्व)

का.आ. 1699.--केन्द्रीय सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. का.आ. 3047, तारीख 30 अक्तूबर, 1990 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 नवम्बर, 1990 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उस अधिसूचना की एक प्रति उक्त संस्मारक के समीप सहज दृश्य स्थान पर लगा दी गई थी;

और उक्त राजपत्र 22 नवम्बर, 1990 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक/स्थल का नाम	संरक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले राजस्व प्लाट संख्या	क्षेत्र	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	हावड़ा	बेलूर पुलिस थाना : बाली मौजा : बारकपुर जे.एल.सं. 16	श्री मायेर घाट	सर्वेक्षण प्लाट सं. 1343	0.033 एकड़	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं. 1450 पूर्व : गंगा नदी दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं. 1344 पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं. 1361

स्वामित्व	टिप्पणियां
8	9
महल फोरशोर हावड़ा कलक्टर साहब	—

[सं. 2/12/90-एम.]
एम.सी. जोशी, महानिदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Culture)
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 29th May, 1991

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 1699.—Whereas by a notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S.O. 3047, dated the 30th October, 1990 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 17th November, 1990, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the notification was affixed in a conspicuous place near the said monument as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd November, 1990;

And whereas no objections from the public has been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument/ Site	Revenue plot numbers included under protection
1	2	3	4	5
West Bengal	Howrah	Belur P.S. BallyMouza: Barakpur J.L. No. 16	Sri Mayer Ghat	Survey Plot No. 1343

Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9
0.033 Acres	North : Survey plot No. 1450 East : River Ganga South : Survey plot No. 1344 West : Survey plot No. 1361	Mahal Foreshore Howrah Collector Saheb.	

[No. 2/12/90-M]
M.C. JOSHI, Director General

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1991

का. आ. 1700.—15 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं. एफ. एफ. 15-2/89-भा. खे. प्रा. का अधिक्रमण करते हुए श्री राजेश ढींगरा, सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण, को श्री सी. आर. गोपीनाथ, निदेशक (प्रशासन), भारतीय खेल प्राधिकरण के स्थान पर राष्ट्रीय भारतीयम 1989 की विशेष आयोजन समिति का सदस्य-सचिव नामित किया जाता है।

[सं. एफ. 15-2/89-भा. खे. प्रा.]
संतोष कुमार, निदेशक (खेल)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग),

नई दिल्ली, 4 जून, 1991

का. आ. 1701.—केन्द्रीय सरकार, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 5) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल. 11012/1/85-एल एंड एम दिनांक 28 दिसंबर, 1988 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में संयुक्त सचिव श्री बी. के. मित्तल को आगामी आदेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है।

[संख्या एल. 11012/1/85-एल. एंड एम.]
बी. बी. मंडल, उप-सचिव

(Department of Youth Affairs & Sports)

New Delhi, the 12th April, 1991

S.O. 1700.—In supersession of the Notification No. F. 15-2|89-SAI dated 15th January, 1990, Shri Rajesh Dhingra, Secretary, Sports Authority of India is nominated as Member-Secretary of Special Organising Committee of National Bharatiyam 1989 in place of Shri C. R. Gopinath, Director (Admn.), Sports Authority of India.

[No. F. 15-2|89-SAI]
SANTOSH KUMAR, Director (Sports)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 4th June, 1991

S.O. 1701.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) and in supersession of the Notification of the Government of India No. L-11012|1|85-L&M dated the 28th December, 1988, the Central Government